

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।

संख्या जी-757/स्था0-1(2/175)/ज्ये0सूची/2018 दिनांक:लखनऊ: 08 फरवरी,2018

विषय:- ज्येष्ठता सूची का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या जी-742/स्था0-1 (2/175)/ज्ये0सूची/2018 दिनांक 07.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शासन द्वारा दिये गये निदेशानुसार अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची 30.08.2005 के सम्बन्ध में मत/प्रत्यावेदन दिनांक 15.02.2018 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी से तात्पर्य विद्यमान ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.08.2005 में सम्मिलित सभी कार्यरत/सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से है। कृपया निर्धारित तिथि तक प्रार्थना-पत्र/प्रत्यावेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उक्त से सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।

संख्या जी-757 /स्था0-1(2/175)/ज्ये0सूची/2018 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधीक्षण अभियन्ता एवं निदेशक(प्रशिक्षण), लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
3. मुख्यालय के सम्बन्धित अधिकारीगण।
4. उक्त विद्यमान ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. नोटिस बोर्ड/विभागीय वेब-साइट पर चरपा/लोड करने हेतु।

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।